Excise duty on Import of Cars

2223. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the procedures for importing cars and what is the rate of excise-duty;

(b) what are the procedures of giving rebate in excise duty;

(c) whether it is a fact that within the last one year few cars have been imported by paying one fourth duty; and

(d) if so, what are the details thereof and under what circumstances the duty has been reduced on the import of the cars ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR):(a) The import policy and procedure for import of cars by various categories of importers are given in Public Notice No. 21-ITC(PN)/92-97 dated 26-06-92, issued by the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

There is no excise duty payable on imported cars. However, passenger cars are leviable to customs duty at the rate of 225.63 per cent *ad valorem*.

(b) No rebate in customs duty is permissible on import of cars. However, depreciation is allowed in the value taken for assessment for used cars as follows :

4% per quarter for the first year

3% per quarter for the second year

2½% per quarter for the third year

2% per quarter for the fourth year

In addition to the above depreciation in value, the Assistant Collector can allow further depreciation after ascertaining the actual condition of the car on physical examination.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of reply to part (c).

भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार पर निर्यात-आयात कार्य-निष्पादन का प्रभाव

2224. **श्री वीरेन्द्र के शाह :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीने के दौरान इस देश के निर्यात और आयात व्यापार में विगत वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस अवधि के दौरान कम निर्यात किया गया और अधिक आयात किया गया जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भण्डार घट गया है;

(घ) यदि हां, तो अप्रैल, 1992 में देश में विदेशी मुद्रा की राशि कितनी थी तथा सितम्बर, 1992 के अंत में यह राशि कितनी थी;

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा की लगातार कमी को देखते हुए देश के आयात और निर्यात व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां । चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान भारत द्वारा 85490 लाख अमरीकी डालर-राशि का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 81130 लाख अमरीकी डालर-राशि का निर्यात किया गया था । चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान 111710 लाख अमरीकी डालर-राशि के आयात किए गए जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 91350 लाख अमरीकी डालर-राशि के आयात किए गए थे ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । अप्रैल--सितम्बर, 1992 की अवधि के दौरान यद्यपि निर्यात में हुई वृद्धि आयात में हुई वृद्धि से कम रही है और इसके परि-

णामस्वरूप अप्रैल—सितम्बर, 1991 की अवधि की तुलना में व्यापार-घाटा भी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भुगतान-शेष के चालू लेखों और पूंजीगत लेखों में अन्य विभिन्न लेनदेनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के निवल अंतर्प्रवाह के कारण इस अवधि में हमारे विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार में कमी नहीं आई है। अप्रैल, 1992 के आरम्भ में, हमारे विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार [सोने और विशेष आहरण अधिकारों (एस. डी. आर.) को छोड़कर] 56620 लाख अमरीकी डालर-राशि के थे तथा सितम्बर, 1992 के अंत में ये 57690 लाख अमरीकी डालर-राशि के थे।

(ङ) और (च) जी, नहीं। निर्यात और आयात के बीच संतुलन कायम रखने के लिए कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सरकार की निर्यात और आयात नीति (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1997) का लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना तथा प्रभावकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है ताकि व्यापार घाटे को कायम रह सकने वाले स्तर तक सीमित रखा जा सके।

केन्द्रीय करों की वसूली की बकाया धनराशि

2225. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों/फर्मों/व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनकी ओर केन्द्रीय करों के रूप में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय कर के संबंध में तदनुरूप ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी/फर्म/व्यक्ति की ओर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) उपर्युक्त बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है ?

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया के बारे में आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। समूचे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने के कार्य में काफी समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे जो प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे। फिर भी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया की वसूली के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय किए जाते हैं।

आयकर

(क) और (ख) संलग्न अनुपत्र के अनुसार। [देखिए परिशिष्ट 165, अनुपत्र सं. 43]

(ग) ऐसी कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों की संख्या 6239 है जिनकी तरफ 10 लाख रुपए तथा इससे अधिक राशि का आयकर बकाया है। इन 6239 मामलों के संबंध में मुकम्मल ब्यौरे प्रस्तुत करने के कार्य में अत्यधिक समय लगेगा जिसके लिए पर्याप्त संख्या में जनशक्ति को भी लगाना पड़ेगा। इन ब्यौरों को एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने में लगने वाला समय तथा किए जाने वाले प्रयास प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

(घ) करों की वसूली करने के निमित्त किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) बोर्ड तथा आयकर निदेशालय (वसूली) 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भारी-भरकम बकाया के मामलों की निरन्तर समीक्षा करते हैं।

(2) चूंकि अधिकांश मामलों में कर-बकाया अनिर्णीत अपीलों में विवादग्रस्त है, इसलिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अपीलीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें।

(3) दण्ड लगाने, चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की करने जैसे कठोर उपाय किए जाते हैं।

(4) कुछ मामलों में कर-चूककर्त्ताओं के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं।

(5) रुग्ण कम्पनियों तथा जो कम्पनियां परिसमापन की अवस्था में हैं,